



UPMZ010066402026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थित : बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3139 सन 2026

मनोज कुमार पुत्र झंडा सिंह
निवासी 141 ग्राम बढेडी थाना छपार,
मुजफ्फरनगर

—आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या—118 सन 2026

धारा—115(2), 117(2), 333, 352, 351(2)

एवं धारा 351(3)

भारतीय न्याय संहिता

थाना— छपार

जनपद— मुजफ्फरनगर

30.06.2026

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त की ओर से उपरोक्त मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि वादी आवेदक/अभियुक्त का सगा भतीजा है। उनका रहन सहन एक ही मकान में है। अपने जीवनकाल में आवेदक/अभियुक्त व वादी के पिता ने भाईचारे के आधार पर मकान का बंटवार किया हुआ है। वादी के पिता जितेन्द्र के दिमाग में बेईमानी आ गयी और वह इस संयुक्त मकान के ज्यादा हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। इसी दबाव के कारण झूठी रिपोर्ट लिखायी गयी है।

यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी विलंब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उसके फरार होने की संभावना नहीं है। न ही वह पूर्व

सजायाफता है। इस प्रकार अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया तथा कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :—

1. अभियोग की प्रकृति एवं गंभीरता,
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिस्थिति,
3. अभियुक्त का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी सम्मिलित है कि, क्या वह किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पर पहले ही कारावास भुगत चुका है।
4. न्याय से भागने की संभाव्यता, और
5. जहां अभियुक्त को उसे इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुँचाने या अपमानित के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो।
6. सामाजिक स्थिति/जांच में सहयोग की प्रवृत्ति।

5. अभियोजन कथानक अनुसार वादी मुकदमा चेतन पंवार द्वारा घटना दिनांकित 03.06.2026 सम 11.00 बजे के संबंध में दिनांक 05.06.2026 समय 23.58 बजे थाना छपार पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि वादी के पिता का भाई मनोज बंटवारे को लेकर उसके पिता से रंजिश रखता है। दिनांक 31.05.2026 को गांव के प्रदप कुमार ने उसके पिता के भाई मनोज के हिस्से में लगे जामुन के पेड़ की डाल काट दीथी जो सरकारी रास्ते व बिजली के तार में अवरोध पैदा कर रही थी जिसके संबंध में मनोज के मन में वहम था कि प्रदीप ने पेड़ की डाल उसके पिता के कहने पर काटी है। दिनांक 03.06.2026 को उसके पिता उसकी माता व उसकी पत्नी के साथ घर पर ही थे कि समय करीब 11 बजे दिन उसके सपिता का छोटा भाई मनोज कुमार मोटर साईकिल से घर आया और घर में घुसकर उसकी माता को गंद गंदी गालियां देने लगा। उसके पिता शोर सुनकर बाहर आये और मनोज को उसकी माता जी को गाली देने से मना किया तो मनोज ने उसकी ता को धक्का देकर पिता के साथ भी लात घूसों से मारपीट शुरू कर दी और वहांपड़े डंडे से पिता के सिर व मुंह पर जोरदार प्रहार किये जिससे उसके पिता के जबड़े में गंभीर चोटें आयी तथा तीन दांत भी हिल गये तथा जीफ के नीचे का तातवा कट गया। मौके पर घटना को उसकी माता श्रीमती मुन्नी देवी, पत्नी श्रीमती आरजू चौधरी ने देखा और शोर मचाया। शोर होने पर

मनोज जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग गया। इस तरह की घटना मनोज पहले भी कर चुका है।

6. इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसके पिता के साथ लात घूसों व डंडे से हमला करके चोटें पहुंचाने का आरोप बताया गया है।

आरोपित धाराएं सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति-युक्त आधार मौजूद है। तदनुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **मनोज कुमार पुत्र झंडा सिंह** को अंतर्गत अपराध संख्या-118 सन 2026 धारा-115(2), 117(2), 333, 352, 351(2) एवं धारा 351(3) भारतीय न्याय संहिता थाना छपार जनपद मुजफ्फरनगर के मामले में उसके द्वारा अंकन 25,000/- 25,000/- पच्चीस पच्चीस हजार रुपये की दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :-

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विवेचक/न्यायालय द्वारा तलब किये जाने व नियत की गयी तिथियों पर उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
2. यह कि आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिन्न किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
3. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. यह कि आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा।

(क) ऐसे व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसे व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उन पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसे व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने

के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेंगे, धमकी या वचन नहीं देंगे या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त बंध पत्र दाखिल करेगा—“अभियुक्त विचारण के पूर्ण होंने के छह माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।”

6. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

7. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बंध पत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि, संबंधित न्यायालय अभियुक्त द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसके विरुद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)

दिनांक: 30.06.2026

सत्र न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर